न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/2005
आरसीएमएस नं0 2005(00073)

1. तेज सिह
2. आत्मा सिह
3. टैक सिह
4. राज सिंह

} पिसरान स्व0 श्री दयाल सिह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली चक 2 एम0एम0के0 तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट/प्रतिवादी सं0 16, 17, 19, 20

बनाम

1. सुखदेव कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री स्वरूप सिह जाति जटसिख निवासी माणुका, तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेंट/वादीया

2. चरणजीत कौर धर्म पत्नी स्व0 श्री हरबन्स सिह
3. लखविन्द्र सिंह
4. भूपेन्द्र सिंह
5. जसविन्द्र सिह

} पिसरान स्व0 श्री हरबंस सिंह

6. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह
7. सन्ता सिह पुत्र श्री सरदार सिंह
8. बूटा सिह पुत्र श्री कौर सिह
9. हरभजन सिह पुत्र श्री अजायब सिंह
10. अमनदीप सिंह पुत्र श्री हरमन्द्र सिह
11. तेजा सिंह
12. गुरमेल सिंह
13. जगतार सिह
14. गुरसेवक सिह

} पिसरान हाकम सिंह

} (2 से 14) अकवाम जटसिख निवासी मानुका, तहसील व जिला

15. प्रीतम सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह
16. सुखदेव सिह पुत्र श्री दयाल सिह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2005

राजस्व अपील प्राधिकारी

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी
अनवान सुखदेव कौर बनाम चरणजीत कौर आदि प्र. सं. 20/2002

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल एवं श्री गुलाब सिह बराड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या स0 1
श्री रविन्द्र कुंमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 17

निर्णय   दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 22 एमएमके व 21 एमएमके में अपने स्वयं के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादिया के पति की दोनों चकों में कुल 10 बीघा भूमि थी व चक 21 एमएमके में 5 बीघा व चक 22 एमएमके में 5 बीघा अर्सा दराज से बाहमी तकसीम के मुताबिक कब्जा कास्त चला आ रहा था। रूप सिंह पुत्र स्वरूप सिंह ने 21 एमएमके का अपना हिस्सा 1.055 प्रतिवादी 16 ता 20 को विक्रय कर दिया शेष दोनों चकों में वादिया के पति के पास 6 बीघ भूमि रही जो मुताबिक बाहमी तकसीम अपने जीवन काल में कास्त करता रहा व उसकी मृत्यु उपरान्त वादिया कास्त करती आ रही है। वादिया ने इसी बाहम तकसीम व कब्जा के मुताबिक चक 22 एमएमके में 8 बीघा व 21 एमएमके में 1 बीघा का खाता अलग कराने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 18 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया कि चक 21एमएमके में खाता सं0 76/73 में 0.055 हिस्सा मुझ प्रतिवादी व दीगर भाईयों के नाम से दर्ज है। इस आराजी में मुझ प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा है मेरा इस आराजी के प0 नं0 73/203 प. नं. 20 की 0.17 बीघा पश्चिमी हिस्सा प्राप्त कर खाता तकसीम किया जावे। प्रतिवादी सं0 16—17—19—20 की और से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि चक 21 एमएमके में खाता सं0 76/73 में वादिया के प्रति का 1.055 हिस्सा जो उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 को बैय कर दिया इसी अनुसार रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 के मध्य 1992 में बंटवारा हुआ उसी अनुसार यह 4.03 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 17 हिस्सा में आई व उसी अनुसार प्रतिवादी सं0 17 के अकेले के नाम दर्ज है। विचारण न्यायलाय ने वादीया का वाद डिक्री किया [illegible] काउण्टर क्लेमे भी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील [illegible] की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। चक 22 एमएमके में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1.519 है0 अर्थात 6 बीघा का हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पक्ष में 5 बीघा की हद तक खातेदारी अधिकार प्रदान करने में तथ्यात्मक भूल की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वस्तुतः घरू बंटवारा अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 1 का चक 21 एम0एम0के0 में 17 बिस्वा की हद तक हक शेष था तथा घरू बंटवारा अनुसार उसके कब्जा में चक 22 एमएमके में 5 बीघा व 21 एमएमके में 17 बिस्वा भूमि थी। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके पति के कब्जा में 21एमएमके में 5 बीघाभमि थी जिसमें से 4 बीघा व 3 बिस्वा भूमिका बैयनामा अपीलाण्ट व रेस्पेडेण्ट संख्या 16 के पक्ष में हो चुका व शेष 17 बिस्वा भूमि प0 नं0 97/203 के मु0 नं0 5 के किला नं0 18 में 17 बिस्वा रही। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कुल 6 बीघा की हद तक खाता विभाजन होना चाहिए था व चक 22 एमएमके में 5 बीघा भूमि के साथ साथ 21 बिस्वा भूमि विभाजन में दी जानी चाहिए थी पत्रावली पर स्व0 रूप सिंह द्वारा निष्पादित विक्रय अनुबन्ध व उस द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों से यह तथ्य बखूबी सिद्ध है कि प0 नं0 97/203 का किला नं. 18 की 17 बिस्वा भूमि स्व0 रूप सिह के पास बाहमी बंटवारा में थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 16 के कब्जा कास्त में भूमि नहीं थी बल्कि घरू बंटवारा में उसे कुल 4 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 16 के मध्य वाद सं0 1/2002 सुखदेव सिह बनाम आत्मासिंह आदि दिनांक 24.12.2001 को प्रस्तुत हो चुका था। जिसमें उक्त वर्णित चक 21एमएमके प. नं. 97/203 किला नं. 20 की 17 बिस्वा भूमि घरू बंटववारा में अपने पास होने का कथन किया है। इस प्रकार पर्वूवती उक्त राजस्व वाद की मौजूदगी में रेस्पोडेण्ट संख्या 16 को इस पश्चात्वर्ती दावा में जिसमें समस्त खातों की भूमि शामिल नहीं थी में कथित रूप से खाता विभाजन का अधिकार नही था। प्रश्नगत भूमि में कब्जा के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निण्रय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया के पति की दोनों चकों में कुल 10 बीघा भूमि थी व रूप सिंह को चक 21 एमएमके में 5 बीघा व चक 22 एमएमके में 5 बीघा अर्सा दराज से बाहमी तकसीम के मुताबिक कब्जा कास्त चला आ रहा था। रूप सिंह ने 21एमएमके का अपना हिस्सा 1.055 प्रतिवादी 16 ता 20 को विक्रय कर दिया शेष दोनों चकों में वादिया के पति के पास 6 बीघ भूमि रही जो मुताबिक बाहमी तकसीम अपने जीवन काल में कास्त करता रहा व उसकी मृत्यु उपरान्त वादिया कास्त करती आ रही है। जितना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उतने हिस्से [illegible] घोषित किया गया है। विभाजन रिकार्ड अनुसार ही होना था। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियॉ होने एवं उनका अपील के निस्तारण में सहायक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कहना है कि वादग्रसत आरजी उसे अपने पति स्व0 रूप सिंह से प्रापत हुई है। विक्रयपत्र से स्पष्ट है किचक 21 एमएमके में स्व रूप0 सिंह ने अपना समस्त हिस्सा प्रतिवादी सं0 16 ता 20 को बैय कर दिया तथा मूल जमाबंदी जो कि इएक्स 3 है कि क्रेतागण का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। वादिया व उसके पति का इस खाता में कोई नाम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय करने के बाद वादिया इस खाते की भूमि की सहखातेदार नहीं रही तथा ना ही उसका कोई हिस्सा शेष रहा है। वह इस भूमि में सह खातेदार नहीं हाने के कारण कोई भी भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 का वादग्रस्त आराजी में 17 बिस्वा का ही हक व हिस्सा है। अतःवह विभाजन में प्रतिवादी संया 16, 18, 19, 20 के हिसे की समस्त आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं ळै। प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 ने 1.055 है0 भूमि क्रय की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 18 का 17 बिस्वा हिस्सा है बनता है। प्रतिवादी संख्या 19 ता 20 अपने काउण्टर क्लेम में प्रश्नगत आरजी प्रतिवादी सं0 17 को विभजान में देना स्वीकार करते है लेकिन प्रतिवादी सं0 18 इसमें सहमत नहीं है। परन्तु प्रतिवादी नं0 18 वादग्रस्त आराजी में 17 बिस्ववा का हिस्सा होने से अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी है। उपरौक्त तथ्यों के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य तथ्य अपीलाण्ट ने अपील में पेश नही किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायलाय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हसतक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2005 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

30/5/22

(करनारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़